न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 246/2023

चेतनराम पुत्र नाथाराम मेघवाल
निवासी गजसिंहपुरा, तहसील भोपालगढ
जिला जोधपुर (राज.)

अपीलाण्ट...

ब ना म

1. हडमानराम पुत्र रामदीन जाट
   निवासी गजसिंहपुरा, तहसील भोपालगढ
   जिला जोधपुर (राज.)
2. पटवारी गजसिंहपुरा
   तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर (राज.)
3. भू.अभिलेख निरीक्षक गजसिंहपुरा
   तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर (राज.)
4. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार, भोपालगढ
   जिला जोधपुर (राज.)
5. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
   भोपालगढ, जिला जोधपुर (राज.)

रेस्पो....

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर भोपालगढ(कैम्प बुडकिया) दिनांक 23 मई 2023 कमांक भू.अ./2023/तरमीम/रेकर्ड/84 प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131 व 134 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित–
श्री ए.आर.बेनीवाल अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री जस्साराम, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या एक अनुपस्थित
अन्य रेस्पो. की ओर से राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : अगस्त 2024

अपीलाण्ट ने उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ(कैम्प बुडकिया) द्वारा पटवारी, पटवार मण्डल गजसिंहपुरा को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

व 134 के राजस्व रेकर्ड के अनुसार खसरा संख्या 572/2 रकबा 0.4856 बारानी दोयम वाके मौजा गजसिंहपुरा बाबत तरमीम/राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की स्वीकृति जारी करते हुए दुरूस्ती अनुसार राजस्व रेकर्ड/नक्शें में इन्द्राज किये जाने बाबत दिये गये आदेश कमांक भू.अ./2023/तरमीम/रेकर्ड/84 दिनांक 23 मई 2023 के खिलाफ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 04 जुलाई 2023 को प्रस्तुत की गयी है। अपील मियादशुमार किये जाने बाबत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम अपील के साथ प्रस्तुत किय गया।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवण्टन) नियम, 1970 के तहत उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर के आदेश कमांक आ./2002/1853 दिनांक 30 जून 2002 की पालना में दिनांक 04 जुलाई 2002 को संबंधित तहसीलदार द्वारा म्युटेशन संख्या 1304 स्वीकृत किया जाकर ग्राम गजसिंहपुरा स्थित आराजी खसरा संख्या 572 में से 3 बीघा भूमि जरिये आवण्टन दामाराम पुत्र फुसाराम व सुकली पत्नी दामाराम भाम्बी (मेघवाल) के पक्ष में दर्ज करते हुए राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज व तरमीम की गयी तथा मौके पर भौतिक कब्जा भी आवण्टीगण को सुपुर्द कर दिया गया। कालान्तर में उक्त आवण्टीगण द्वारा अपनी घरेलू आवश्यकतापूर्ति धनराशि की आवश्यकता होने पर उक्त भूमि बाबत दिनांक 02 अप्रेल 2013 को मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त कर अपीलाण्ट्स के पक्ष में पंजीबद्ध बेचाननामा निष्पादित किया गया। तब से वादग्रस्त भूमि अपीलाण्ट्स की खातेदारी एवं कब्जे–काश्त में चली आ रही है। दिनांक 07 फरवरी 2023 को रेस्पो. संख्या एक द्वारा उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ के नाम का पटवारी हळका गजसिंहपुरा के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर पटवारी हळका द्वारा राजस्व कर्मचारियों से दुराभिसन्धि कर पत्रावली मंहगाई राहत कैम्प बुडकिया में प्रस्तुत की गयी और उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ(कैम्प बुडकिया) द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जो आदेश राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 व 136 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 68 व 86 के प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ(कैम्प बुडकिया) को इस प्रकार का अपीलाधीन आदेश जारी करने का कोई क्षेत्राधिकार भी उपलब्ध नहीं है। वादग्रस्त आराजी ग्राम गजसिंहपुरा ग्राम पंचायत गजसिंहपुरा में स्थित है जबकि अपीलाधीन आदेश बुडकिया में पारित किया गया है जो महंगाई राहत कैम्प प्रशासन गांवों के संग अभियान एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान के प्रस्तावित रूपरेखा (दिनांक 24 अप्रेल 2023 – 30 जून 2023) के नियमों के विरूद्ध होने से खारिज किया जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या एक ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि सन संख्या 368/02 दिनांक 30 जून 2002 के द्वारा ग्राम गजसिंहपुरा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

के खसरा संख्या 572 रकबा 3 बीघा बारानी सोयम उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर के आदेश क्रमांक आ./2002/1853 दिनांक 30 जून 2002 के जरिये दामाराम पुत्र फुसाराम व सुकली पत्नी दामाराम के पक्ष में आवण्टन किया गया, मगर आवण्टीगण द्वारा खसरा संख्या 572 में दो जगह तीन–तीन बीघा भूमि पर कब्जा कर लिये जाने से तरमीम गलत कर दी गयी, जिसकी दुरूस्ती हेतु रेस्पो. संख्या एक द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने पर विधिवत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अपीलाधीन आदेश एवं संबंधित कार्यवाही में अपीलाण्ट को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार से सूचित किया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश बाबत समुचित समय में अपीलाण्ट को जानकारी नहीं होना स्वभाविक है। अतः मियाद–प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं अधिवक्ता–अपीलाण्ट की इस संबंध में प्रस्तुत बहस पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है।

अपीलाधीन आदेश ग्राम गजसिंहपुरा स्थिति आराजी खसरा संख्या 572/2 रकबा 0.4856 बाबत पारित किया गया है। अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 572/2 रकबा 3 बीघा बाबत दामाराम पुत्र फुसाराम व सुकली पत्नी दामाराम जाति भाम्बी (मेघवाल) निवासी गजसिंहपुरा द्वारा अपीलाण्ट चेतनराम पुत्र नाथाराम जाति मेघवाल के पक्ष में मूल्यवान प्रतिफल राशि 38,000 रूपये प्राप्त कर पंजीबद्ध बेचाननामा (दिनांक 02 अप्रेल 2013 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 62 पृष्ठ संख्या 21 क्रम संख्या 2013001830 पर कार्यालय उप–पंजीयक भोपालगढ) निष्पादित किया जाना प्रकट होता है। जमाबंदी (खेवट खतौनी) संवत 2075–2078 ग्राम गजसिंहपुरा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि अपीलाण्ट चेतनराम पुत्र नाथाराम के की खातेदारी में दर्ज है। ऐसी स्थिति में नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुसार वादग्रस्त आराजी बाबत कोई आदेश पारित करने के पूर्व वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार अर्थात अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य होते हुए भी विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने के पूर्व अपीलाण्ट को तलब कर सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया जाना उपलब्ध अभिलेख से प्रकट नहीं होता है।

अतः उपरोक्त समस्त अपील अपीलाण्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन आदेश दिनांक 23 मई 2023 अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावे और संबंधित कानूनी प्रावधानों एवं

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

विधिक प्रकिया की पालना करते हुए उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के परिप्रेक्ष्य में पुनः न्यायोचित एवं विधिसम्मतः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12 अगस्त 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.08.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त